न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 199/2017 (76 भू राजस्व अधिनियम 1956)(R.C.M.S . no 2017/00214)

1. परसराम पुत्र लड्डू जाति गूजर निवासी ग्राम वैरना तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।
2. कपूरी पुत्री लड्डू जाति गूजर निवासी ग्राम वैरना हाल आबाद आमंड तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. मु0 मांगी पुत्री लड्डू जाति गूजर निवासी वैरना हाल आबाद वरनावढा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।
2. ग्राम पंचायत बहरावंडा खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बहरावंडाखुर्द ।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्डाधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर दिनांक 17.11.2016 व मुकदमा अपील संख्या 11/2014 उनवानी मांगी बनाम परसराम व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 22.1.1983 ग्राम पंचायत बहरावंडाखुर्द।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुभाषसिंह चाहर वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 18.7.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार लड्डू की मृत्योपरान्त विरासतन नामान्तरकरण संख्या 241 ग्राम पंचायत बहरावंडाखुर्द के द्वारा दिनांक 22.1.1983 को अपीलान्ट संख्या–1 परसराम के नाम तस्दीक किया गया। रैस्पो0 संख्या–1 के द्वारा इस नामान्तरकरण की अपील तहत अदालत उपखण्डाधिकारी खण्डार के समक्ष पेश की गई। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 22.1.1983 को निरस्त करते हुये मृतक लड्डू के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार खण्डार को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को अन्दर मियाद मानकर कानूनी भूल की है। जबकि यह अपील 31 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। इस लम्बी देरीना को क्षमा करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है और ना ही जानकारी का कोई श्रोत बताया है कि उसे इतनी लम्बी अवधि बाद विवादित दाखिल खारिज की जानकारी किसके जरिये हुई। रैस्पोडेन्टस संख्या–1 ने पिता के मरने के बाद उसके द्वारा छोडी गई आराजी का लगान अदा करने की कभी कोशिश भी नहीं की। इस प्रकार उसका आकस्मिक कथन सन्देहास्पद हो जाता है कि उसके द्वारा नकल नामान्तरकरण दिनांक 19.8.2014 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई। तहत अदालत ने इस कथन पर ही 31 वर्ष की देरीना को क्षमा करने का आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध है। यह कि तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट संख्या –2 कपूरी पुत्री लड्डी यह स्वीकार करती है कि वह व उसकी बहन मांगी ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण स्वीकार करते वक्त उपस्थित थी तभी हम दोनों बहिनों को इस तथ्य पर कोई एतराज नहीं था कि मृतक पिता का विरासत नामान्तरकरण अकेले भाई परसराम के नाम स्वीकार कर दिया जावे। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय के मसक्ष यह प्रमाणित तथ्य था उक्त दाखिल खारिज जेर अपील की जानकारी रैस्पो0 संख्या–1 को दिनांक 22.1.1983 से ही रही है फिर भी न्यायालय तहत ने उसकी अपील को अन्दर मियाद मान ली है जो विधि विरूद्ध है । यह कि योग्य तहत अदालत ने इस विधिक प्रश्न परभी गौर नहीं किया कि ऐसे उत्तराधिकार के मामलों में जहां कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी है अथवा नहीं है यह प्रश्न नियमित वाद में ही निर्णित किया जा सकता है न कि नामान्तरकरण की अपील में। फिर भी तहत अदालत ने आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल मंसूखी है। ग्राम पंचायत के समक्ष सहमति दिये जाने के 31 वर्ष के एक लम्बे अन्तराल के बाद अचानक रैस्पो0 संख्या–1 के दिल में बदनियती आ गई और झूठे तथ्यों के साथ तहत अदालत में अपील पेश की जिसको तहत अदालतन ने बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है। इसके अलावा रैस्पो0 मांगी ने आलौच्य दाखिल खारिज की जानकारी हल्का पटवारी से होना बताया है परन्तु उसके द्वारा हल्का पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि पटवारी का शपथ पत्र बहत ही आवश्यक था जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त 2000 आरआरडी 557, 1999 आरआरडी 309, 1990 आरआरडी 445 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किये है । तहत न्यायालय ने इन न्यायिक दृष्टान्तों पर गौर कर करते हुये आलौच्य आदेशपारित कर दिया है विधि विरूद्ध है जैसा कि 2015 (1) सीटीराज–14, 2019 डीएनजे रेवन्यु 84 में निर्णित की है । इसके अतिरिक्त देरीना को क्षमा करने के लिये प्रत्येक दिन की देरीना को बताना पडेगा, परन्तु रैस्पोडेन्ट मांगी द्वारा प्रत्येक दिन की देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। चूंकि मियाद बिन्दु एक महत्वपूर्ण बिन्दु होता है मियाद निकलने पर दूसरे पक्ष को वैद्यानिक अधिकार मिल जाते है जिनको सहज रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि 1994 आरआरडी 480, 1991 आरआरडी 180, 164 में प्रतिपादित किया है। मियाद बिन्दु उन आदेशों पर भी लागू होता है जहां न्यायालय तहत द्वारा आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया हो जैसा कि 1989

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आरआरडी 500, 1992 आरआरडी 21 में निर्णित किया गया है। यह कि मु0 मांगी रैस्पोडेन्ट स्वयं को मृतक लड्डू की पुत्री होना अंकित करती है। यह निर्विवाद तथ्य है कि मृतक लड्डू की मृत्यु 1983 में हुई थी फिर क्या वजह रही कि वह 1983 से 2016 तक विरासतन दाखिल खारिज खुलवाने के लिये चूप क्यों रही। ऐसे मामले को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का मत है कि यदि कोई पुत्री मृतक पिता की पुत्री कहते हुये दाखिल खारिज के विरूद्ध अपील पेश करती है तो उस सूरत में अपील संधारण योग्य नहीं रहती बल्कि उसे अपने अधिकार तय कराने हेतु नियमित वाद करना चाहिऐ। क्यों कि उत्तराधिकार का प्रश्न नामान्तरकरण की अपील में निष्प्रित नहीं किया जा सकता है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैरे अपील दिनांक 17.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी उपखण्डाधिकारी खण्डार निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 22.1.1983 यथावत रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी खण्डार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है वह स्टे की आड में मुकदमें को लम्बा खींचने की नीयत से की गई है क्यों कि तहत अदालत उपखण्डाधिकारी खण्डा द्वारा जो निर्णय दिनांक 17.11.2016 पारित किया गया है वह पूर्णया विधि सम्मत है। यह कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट स्वर्गीय श्री लड्डू की सगी सन्ताने है लेकिन लड्डू की मृत्यु के बाद रैस्पोडेन्ट अपनी ससुराल बरनावदा तहसील खण्डार में रहती थी तथा कानून के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिसका फायदा उठा कर परसराम ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 22.1.1983 को अपने नाम खुलवा लिया। रैस्पोडेन्ट मांगी जो अपीलान्ट की खास बहिन है को कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया। चूंकि रैस्पो0 मांगी अपनी ससुराल में रहती थी तो इस नामान्तरकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। यह तथ्य सदैव मेरे भाई परसराम के द्वारा मुझसे छुपाया गया क्यों कि वह पिता लड्डू की सम्पूर्ण आराजी को स्वयं ही हडपना चाहता था। यह कि तहत न्यायालय के समक्ष लड्डू के भाई रामकुमार ने शपथ पत्र पेश कर यह कहा है कि स्व0 लड्डू के एक लडका परसराम व दो लडकी कपूरी व मांगी है और यही बात ग्राम पंचायत अल्लापुर के सरपंच ने भी कही है। यह कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति पर पुत्र व पुत्रीयों का समान अधिकार होता है इसलिऐ तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। यह कि अपीलान्ट का यह तर्क कि तहत अदालत के समक्ष रैस्पो0 द्वारा जो अपील पेश की गई है वह मियाद बाहर पेश की है कतई गलत है क्यों कि रैस्पोडेन्ट को उक्त नामान्तरकरण खुलने की जानकारी दिनांक 19.8.2014 को नकल प्राप्त करते समय हुई थी और कानून में देरी माफ करने के प्रावधान है जो न्यायहित में सभी पर लागू होता है। अपीलान्ट का यह तर्क कि रैस्पो0 को उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिऐ था तथा रैस्पो0 को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक दावा करना चाहिऐ था कतई गलत है। क्यों कि भू–राजस्व अधिनियम में नामान्तरकरण की अपील का प्रावधान है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र राजस्व सम्पत्ति के लिये जारी नहीं होता है। इस प्रकरण में वास्तविकता यह है कि मृतक लड्डू की तीन संताने है परसराम, कपूरी, मांगी लेकिन ग्राम पंचायत ने जो विरासतन नामा0 241 खोला वह केवल एक संतान परसराम के नाम खोला है जबकि सभी विधिक वारिसानों को समान अपने पिता की सम्पत्ति मे होता है इस लिहाज से यह नामान्तरकरण विधि विरूद्ध खोला गया है जिसे तहत अदालत ने भी अपने अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि वे मृतक लड्डू पुत्र हब्जी गूजर निवासी ग्राम बैरना के विधिक वारिसान के संबध में पर्याप्त जांच करें उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये निर्णय पारित करें। जो वास्तव में न्याय संगत है कानून के दायरे में है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी खण्डार का आदेश दिनांक 17.11.2016 यथावत रखा जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 241 के कॉलम संख्या 14 व 16 से जाहिर है कि खातेदार लड्डू की मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। दौराने सुनवाई एवं तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत मृतक लड्डू के सजरा एवं सरपंच ग्राम पंचायत अल्लापुर पंचायत समिति खण्डार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 11.11.2016 एवं लड्डू के बडे भाई रामकुंवर द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 11.11.2016 से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि मृतक लड्डू के तीन सन्ताने है (1) मांगी रैस्पोडेन्ट–1 (2) कपूरी अपीलान्ट–2 (3) परसराम अपीलान्ट–1 अर्थात यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट एक ही पिता की सन्तान एवं रिश्ते में खास भाई–बहिन है। इस तथ्य से अपीलान्ट के द्वारा भी इन्कार नहीं किया गया है। प्रकरण में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब ग्राम पंचायत द्वारा मृतक लड्डू के सभी विधिक वारिसानों की जांच किये बिना केवल एक वारिस अपीलान्ट परसराम के नाम विरासतन नामान्तरकरण संख्या 241 दिनांक 22.1.1983 को खोल दिया गया। अपीलान्ट का कहना है कि उसकी दोनों बहिनों ने दौराने नामान्तरकरण स्वीकृति अपनी सहमति दी थी, लेकिन नामान्तरकरण पर बतौर सहमति ऐसे कोई हस्ताक्षर मौजूद नहीं पाये गये है। इसके अलावा नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही में तब जबकि मृतक के जायज वारिसानों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी हो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वयं अपीलान्ट सक्षम अदालत से उत्तराधिकारी प्रामाण पत्र जारी कराने की बात तो करते है लेकिन रैस्पोडेन्ट अपीलान्ट की सगी बहन है इस तथ्य से इन्कार भी नहीं करते है लिहाजा इस प्रकरण में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की मांग तर्क संगत नहीं है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस तर्कों में मुख्य रूप से तहत अदालत के द्वारा रैस्पो0 की अपील को मियाद में शुमार किये जाने पर सख्त उज्रदारी की है। जबकि ऐसा कोई भी दस्तावेजी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि रैस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण संख्या 241 का तत्समय इल्म हो चुका था और न ही ग्राम पंचायत की ओर से सभी विधिक वारिसानों की जांच कर उनको इस बाबत सूचित किया जाना पाया गया है। न्यायिक मंशा के मध्यनजर वैसे भी किसी भी पक्षकार की अनभिज्ञता को आधार बनाया जाकर उसे उसके विरासतन हक–हकूको से महरूम किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है।

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

हमारी विनम्र राय में विरासतन हक हकूको पर प्रत्येक विधिक वारिसान का समान हक होता है और होना भी चाहिऐ । इसी न्यायिक मंशा के मध्यनजर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी खण्डार द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2016 से प्रकरण को तहसीलदार खण्डार के लिये इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि वे मृतक लड्डू पुत्र हब्जी गूजर निवासी ग्राम बैरना के विधिक वारिसान के संबध में पर्याप्त जांच करें, उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये निर्णय पारित करें। जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2016 में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official